सत्यमेव जयते

न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी–अलवर

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः– 2021/157 दर्ज तिथिः–16.06.2021

1. किशनलाल पुत्र मुक्ता उर्फ मक्ता उम्र 32 साल
2. जगदीश पुत्र मुक्ता उर्फ मक्ता उम्र 30 साल
3. महेन्द्र पुत्र मुक्ता उर्फ मक्ता उम्र 28 साल
4. रामावतार पुत्र मुक्ता उर्फ मक्ता उम्र 34 साल
5. मठ्ठी पुत्री मुक्ता उर्फ मक्ता उम्र 36 साल
6. जड़ी पत्नी मुक्ता उर्फ मक्ता उम्र 62 साल

समस्त जातियान गुर्जर समस्त निवासीयान नांगलबानी तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0

.......................वादीगण

बनाम

1. बनवारी पुत्र मंगला उम्र 50 साल जाति गुर्जर
2. माना पुत्री मंगला उम्र 46 साल जाति गुर्जर

समस्त निवासीयान नांगलबानी तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0

................असल प्रतिवादीगण

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भू–स्वामी थानागाजी जिला अलवर।
2. पंजाब नेशनल बैंक शाखा थानागाजी जरिये शाखा प्रबंधक।

..........................तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादी :– श्री के0के0 शर्मा।
प्रतिवादीगणः–श्री रामकरण चौपड़ा।

सत्यमेव जयते

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा–53,188
राजस्थान काश्तकारी अधि–1955

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.16 21:17:21 IST
Reason: SelfAttested

::निर्णय::

निर्णय तिथिः– 16.05.2023

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र बाबत तकासमा अन्तर्गत धारा–53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 वास्ते डिक्री किये जाने बाबत पेश हुआ है। प्रकरण का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादीगण की ओर से वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के तहत पेश कर निवेदन किया गया कि संयुक्त हाल आराजी खसरा नंबर 517 रकबा

0.01 है0, 518 रकबा 0.38 है0, 538 रकबा 0.25 है0, 541 रकबा 0.06 है0, 542 रकबा 0.08 है0, 579 रकबा 0.03 है0 कुल किता 06 रकबा 0.81 है0 वाके ग्राम नांगलबानी तहसील थानागाजी जिला अलवर में अवस्थित है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण असल की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादीगण का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादीगण का 1/2 हिस्सा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी दर्ज है। यह विवादित आराजी अविभाजित है जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अभी तक विधिक तकासमा नहीं हुआ है। असल प्रतिवादीगण वादीगण की उक्त हिस्सा आराजी के कुल कार्य काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करते हैं एवं जबरन लठ के बल कब्जा कर वादीगण को अपने हिस्सा आराजी से बेदखल कर निर्माण कार्य, दीगर लोगों रहन बैय मुन्तकिल करना चाहते है। अंत में वाद पत्र में उक्त विवादित आराजीयात का पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा किया जाकर कुर्रेजात कायम कराया जाकर अलग से खाता कायम कराया जाकर सहखातेदारों के लिए रास्ता कायम किया जाकर तकसीम शुदा आराजी का अमल राजस्व रिकॉर्ड में कराया जाकर वादीगण को तकसीम शुदा आराजी पर दखल दिलाया जाने का निवेदन किया गया।

2. वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण हाजा न्यायालय में असालतन–वकालतन उपस्थित होकर जवाब दावा प्रस्तुत कर दावा वादी खारिज फरमाने का निवेदन किया। अतः प्रकरण मे वादी के वाद पत्र तथा जवाब दावे के अवलोकन के पश्चात निम्न प्रकार तनकीयात कायम किये गयें:–

    1. आया संयुक्त आराजी का वादीगण व प्रतिवादीगण विभाजन करवाकर पृथक–पृथक खाता कायम करवाने के अधिकारी है।
    ....उभय पक्षकारान

    2. आया संयुक्त आराजी को वादीगण व प्रतिवादीगण विभाजन करवाकर पृथक–पृथक खाता कायम करवाकर स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है।
    ....उभय पक्षकारान

    3. अन्य दादरसी।
    ....उभय पक्षकारान

3. तनकी संख्या–1 पर विद्वान अधिवक्ता वादी की बहस सुनी। बाद बहस वाद पत्र को प्रारम्भिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार थानागाजी से कुर्रेजात रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार थानागाजी द्वारा दिनांक 20.02.2023 को कुर्रेजात रिपोट तैयार कर प्रस्तुत की।

4. प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता वादीगण एवं प्रतिवादी द्वारा तहसीलदार थानागाजी द्वारा प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट पर सहमति प्रदान की। अधिवक्ता पक्षकारान द्वारा दी गई सहमति पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी संवत् 2075–2078 तथा कुर्रेजात रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जिसके अवलोकन पाया गया कि वादीगण एवं असल प्रतिवादी हाल आराजी खसरा नंबर 517 रकबा 0.01 है0, 518 रकबा 0.38 है0, 538 रकबा 0.25 है0, 541 रकबा 0.06 है0, 542 रकबा 0.08 है0, 579 रकबा 0.03 है0 कुल किता 06 रकबा 0.81 है0 वाके ग्राम नांगलबानी तहसील थानागाजी जिला अलवर तहसील थानागाजी के सहखातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त संयुक्त आराजीयात में वादीगण का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी का 1/2 हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड होना प्रमाणित होता है। उक्त विवादित आराजीयात अविभाजित है एवं राजस्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.16 21:17:21 IST
Reason: SelfAttested

रिकॉर्ड में पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा नहीं हुआ है। पक्षकार की कुर्रेजात रिपोर्ट पर सहमति को ध्यान में रखते हुए पक्षकारान के मध्य उक्त विवादित आराजीयात् का विधिक तकासमा किया जाना आवश्यक है अतः दावा वादीगण मुताबिक विभाजन–प्रस्ताव (कुर्रेजात रिपोर्ट) मय नक्शा– ट्रेस के अनुसार डिक्री किया जाना न्यायोचित है। अतः तनकी संख्या–1 स्वीकार की जाती है।

5. प्रकरण में तनकी संख्या–02 के अनुसार तकसीम आराजी के साथ–साथ स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष का भी जिक्र किया गया। अतः तनकी संख्या–02 के तहत विश्लेषण हेतु स्थाई निषेधाज्ञा में तीन महत्वपूर्ण बिन्दु है जो इस प्रकार हैः–

प्रथम– स्वामित्व एवं कब्जाः– प्रकरण के बाद तकसीम पृथक–पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह–काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। अतः अपने खाते की आराजी का संबंधित काश्तकार कब्जा व स्वामित्व रखते हुये खातेदार है। अतः इस प्रकार प्रथम शर्त पुष्ट होती है।

द्वितीय– सुविधा का सन्तुलनः– प्रकरण में बाद तकसीम पृथक–पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक खाते दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये है। जब खातेदार एकल खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है तो बेशक सुविधा का सन्तुलन भी एकल खातेदार के पक्ष में स्पष्ट है।

तृतीय– अपूरणीय क्षतिः– प्रकरण में बाद तकसीम पृथक–पृथक खातें का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। खातेदार एकल खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है। अगर एक खातेदार को कोई दीगर व्यक्ति खातेदारी आराजी से बेदखल करने का प्रयास करे या आमद–रफत में मजाहमत उत्पन्न करें तो बेशक खातेदार को अपूरणीय क्षति स्पष्ट है।

6. अतः हाल सह काश्तकार बाद तकसीम अपने पृथक–पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बेदखल करने का प्रयास नहीं करने एवं आमद रफत में मजाहमत उत्पन्न नहीं करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित है। अतः तनकी संख्या–02 स्वीकार की जाती है। अतः

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.16 21:17:21 IST
Reason: SelfAttested;

आदेश

दावा वादीगण अन्तर्गत धारा–183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा पेश किया जाता है एवं हाल आराजी हाल आराजी खसरा नंबर 517 रकबा 0.01 है0, 518 रकबा 0.38 है0, 538 रकबा 0.25 है0, 541 रकबा 0.06 है0, 542 रकबा 0.

08 है0, 579 रकबा 0.03 है0 कुल किता 06 रकबा 0.81 है0 वाके ग्राम नांगलबानी तहसील थानागाजी जिला अलवर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा–ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वादीगण डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग–अलग खाता प्रविष्टियाँ दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार थानागाजी को दिये जाते हैं।

क्र.स.	खातेदार	हिस्सा	खसरा	रकबा	किस्म
1	किशनलाल पुत्र मुक्ता	1/12	518/1	0.19 है0	बारानी–1
			538/2	0.13 है0	बारानी–1
2	जगदीश पुत्र मुक्ता	1/12	541/2	0.03 है0	गैर मु0 पाल
			542/1	0.05 है0	डहरी
3	महेन्द्र पुत्र मुक्ता	1/12			
4	रामावतार पुत्र मुक्ता	1/12			
5	मठ्ठी पुत्री मुक्ता	1/12			
6	जड़ी पत्नी मुक्ता	1/12			
समस्त जाति गुर्जर साकिन देह खातेदार					
कुल किता 04 रकबा 0.40 है0					
1	बनवारी पुत्र मंगला	1/4	518/2	0.19 है0	बारानी–1
			538/1	0.12 है0	बारानी–1
2	माना पुत्री मंगला *रहन पंजाब नेशनल बैंक थानागाजी*	1/4	541/1	0.03 है0	गैर मु0 पाल
			542/2	0.03 है0	डहरी
			579	0.03 है0	चाही उत्तम
समस्त जाति गुर्जर साकिन देह खातेदार					
3	उक्त क्रम संख्या 01 एवं 02 पर दर्ज खातेदार शामिल	हिस्सा [illegible]	517	0.01 है0	गैर मु0 चाह

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.16 21:17:21 IST
Reason: SelfAttested

उक्तानुसार पक्षकारान अपने–अपने हिस्से अनुसार खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में

पृथक–पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादीगण के उपरोक्त दर्ज खाता हिस्सा आराजी पर जबरन कब्जा बेदखल न करे, ना ही किसी प्रकार के कार्य काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। इसी अनुसार पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाकर तहसीलदार थानागाजी को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावे। अहकाम जारी हो। पक्षकार अपना–अपना खर्चा स्वयं वहन करेगें।

यह निर्णय आज दिनांक 16.05.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षकर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
थानागाजी–अलवर

सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.16 21:17:21 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते

न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी–अलवर

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः– 2021/157 दर्ज तिथिः–16.06.2021

1. किशनलाल पुत्र मुक्ता उर्फ मक्ता उम्र 32 साल
2. जगदीश पुत्र मुक्ता उर्फ मक्ता उम्र 30 साल
3. महेन्द्र पुत्र मुक्ता उर्फ मक्ता उम्र 28 साल
4. रामावतार पुत्र मुक्ता उर्फ मक्ता उम्र 34 साल
5. मठ्ठी पुत्री मुक्ता उर्फ मक्ता उम्र 36 साल
6. जड़ी पत्नी मुक्ता उर्फ मक्ता उम्र 62 साल

समस्त जातियान गुर्जर समस्त निवासीयान नांगलबानी तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0

.....वादीगण

बनाम

1. बनवारी पुत्र मंगला उम्र 50 साल जाति गुर्जर
2. माना पुत्री मंगला उम्र 46 साल जाति गुर्जर

समस्त निवासीयान नांगलबानी तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0

.....असल प्रतिवादीगण

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भू–स्वामी थानागाजी जिला अलवर।
2. पंजाब नेशनल बैंक शाखा थानागाजी जरिये शाखा प्रबंधक।

.....तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादी :– श्री के0के0 शर्मा।
प्रतिवादीगणः–श्री रामकरण चौपड़ा।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा–53,188
राजस्थान काश्तकारी अधि–1955

–:पर्चा डिक्री:–

निर्णय तिथिः– 16.05.2023

दावा वादीगण अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी हाल आराजी खसरा नंबर 517 रकबा 0.01 है0, 518 रकबा 0.38 है0, 538 रकबा 0.25 है0, 541 रकबा 0.06 है0, 542 रकबा 0.

Signature Not Verified
Digitally Signed by Keshav Kumar
Date: 2023.05.16 21:17:21 IST
Reason: SelfAttested.

08 है0, 579 रकबा 0.03 है0 कुल किता 06 रकबा 0.81 है0 वाके ग्राम नांगलबानी तहसील थानागाजी जिला अलवर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा–ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वादीगण डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग–अलग खाता प्रविष्टियाँ दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार थानागाजी को दिये जाते हैं।

क्र.स.	खातेदार	हिस्सा	खसरा	रकबा	किस्म
1	किशनलाल पुत्र मुक्ता	1/12	518/1	0.19 है0	बारानी–1
			538/2	0.13 है0	बारानी–1
2	जगदीश पुत्र मुक्ता	1/12	541/2	0.03 है0	गैर मु0 पाल
			542/1	0.05 है0	डहरी
3	महेन्द्र पुत्र मुक्ता	1/12			
4	रामावतार पुत्र मुक्ता	1/12			
5	मठ्ठी पुत्री मुक्ता	1/12			
6	जड़ी पत्नी मुक्ता	1/12			
समस्त जाति गुर्जर साकिन देह खातेदार					
कुल किता 04 रकबा 0.40 है0					
1	बनवारी पुत्र मंगला	1/4	518/2	0.19 है0	बारानी–1
			538/1	0.12 है0	बारानी–1
2	माना पुत्री मंगला *रहन पंजाब नेशनल बैंक थानागाजी*	1/4	541/1	0.03 है0	गैर मु0 पाल
			542/2	0.03 है0	डहरी
			579	0.03 है0	चाही उत्तम
समस्त जाति गुर्जर साकिन देह खातेदार					
3	उक्त क्रम संख्या 01 एवं 02 पर दर्ज खाते[illegible] शामिल	हिस्सा जमा[illegible] अनु[illegible]	517	0.01 है0	गैर मु0 चाह

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.16 21:17:21 IST
Reason: SelfAttested

उक्तानुसार पक्षकारान अपने–अपने हिस्से अनुसार खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में

पृथक–पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादीगण के उपरोक्त दर्ज खाता हिस्सा आराजी पर जबरन कब्जा बेदखल न करे, ना ही किसी प्रकार के कार्य काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। अहकाम जारी हो। पक्षकार अपना–अपना खर्चा स्वयं वहन करेगें।

यह डिक्री आज दिनांक 16.05.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षकर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
थानागाजी–अलवर

सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.16 21:17:21 IST
Reason: SelfAttested

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.16 21:17:21 IST
Reason: SelfAttested